न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :– **हेमराज गूर्जर, R.A.S.**
प्रकरण सख्याः–180 / 2023 **दायर दिनांकः–22.09.2023**

जीसीएमएस नं. 2023 / 445

नजरूद्दीन उम्र 84 वर्ष पुत्र लाद खॉ जाति मुसलमान (भिश्ती) निवासी अटकोली तहसील सूरौठ जिला करौली राज0

––––सायल

बनाम

1. पृथ्वी उम्र 60 वर्ष
2. रामरतन उम्र 55 वर्ष
3. शिवचरण उम्र 52 वर्ष
4. हरि उम्र 50 वर्ष

} पुत्र गंगे जाति गुर्जर निवीस अटकोली तहसील सूरौठ जिला करौली

5. घनश्याम उम्र 50 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी अटकोली तहसील सूरौठ जिला करौली
6. मोहन उम्र 55 वर्ष पुत्र रामसिंह
7. केसराम उम्र 50 वर्ष पुत्र संतोकी
8. श्योदान उम्र 50 वर्ष पुत्र सुबुद्धि

} जाति गुर्जर निवीस अटकोली तहसील सूरौठ जिला करौली

––गैरसायलान–08

प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्त रिसीवर एव अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– 1. श्री अजय पाठक अधिवक्ता सायल
2. श्री मोहन अवस्थी अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय

दिनांक :–

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा न0 526 रकबा 1.09 ऐयर बाके ग्राम अटकोली तहसील सूरौठ जिला करौली स्थित है जो सायल के कब्जेकाश्त खातेदारी की भूमि है। जिसमें गैरसायलान न0 1 लगायत 8 अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है।

सायल का उक्त खेत [illegible] न0 529 रकबा 1.13 ऐयर, गैरसायलान 1 लगायत 4 का स्थित है व पूर्व में खसरा न0 675 गैरमुमकिन आबादी राज्य सरकार की भूमि है।

सायल के खेत खसरा न0 526 रकबा 1.09 ऐयर के पूर्व में खसरा न0 675 राजकीय भूमि में गैरसायलान 1 लगायत 8 द्वारा गैरकानूनी रूप से अतिक्रमण कर बिना किसी अनुमति के मकानों का निर्माण कर रखा है एवं उक्त सरकारी कुल खाली भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर गैत के रूप में उपयोग कर रहे है। यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:16:30 IST
Reason: SelfAttested

भूमि सायल की उक्त आराजी के पूर्वी हिस्से की ओर है, सायल की उक्त आराजी खसरा न0 526 रकबा 1.09 ऐयर, के पूर्वी दिशा में कुछ हिस्से पर गैरसायलान नम्बर 1 लगायत 8 अन्दर घुसकर जबरन लठ्ठ के बल पर अतिक्रमण कर कब्जा करने पर भी उतारू रहते है, और आये दिन इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सायल की उक्त आराजी में आकर अतिक्रमण करने का प्रयास करते है और पानी की टंकी, खण्डे, पत्थर, झाड–झंखड, लकडी, घूडा, इत्यादि पटककर अतिक्रमण करने का प्रयास करते रहते है, सायल के मना करने पर गैरसायलान, सायल व उसके परिजनों को जान से मरने की धमकी देते है और आये दिन मारपीट भी कर देते है गैरसायलान 1 लगायत 4 का खेत खसरा न0 529 सायल उक्त आराजी के उत्तरी दिशा की ओर लगवा है। गैरसायलान नम्बर 1 लगायत 4 सायल के खेत की उत्तरी छोर की डोल मेढ को भी तोडकर सायल की आराजी में नाजायज तौर पर जबरन अंदर घुस जाते है सायल का गांव मे अकेला परिवार है जिस कारण गैरसायलान सायल व उसके परिवार के साथ आये दिन उक्त घटनाए कारित करते है मारपीत करते है डरा–धमकाकर सायल के खेत पर जबरन कब्जा करना चाहते है आये दिन परेशान व उलझने पैदा करते है, सायल व उसके परिवार को हैरान व परेशान कर सायल की आराजी को औने–पौने सस्ते दामों में लठ्ठ के बल पर जबरन हडपना चाहते है खेत को जोतने नहीं देते है, और सायल को परिवार सहित गांव से अपना भय दिखाकर भगाना चाहते है।

सायल एवं उसका परिवार गेरसायलान के उक्त अनुचित कृत्यों से बेहद आहत और भयभीत रहता है, और हमेशा मानसिक तनाव में रहता है सायल व उसके परिजन मौके पर किसी भी रूप में गेरसायलान का सामना करने में समक्ष नहीं है अभी कुछ दिनों पूर्व ही सायल के पुत्र व पुत्रवधु के साथ गैरसायलान 1 लगायत 4 एवं अन्य द्वारा संगीन मारपीट की गई, जिसका मुकदमा थाना नई मण्डी हिण्डोन पर दर्ज है।

गैरसायलान नम्बर 1 लगायत 8 की उक्त अनुचित गैरकानूनी हरकतों बाबत कई बार स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार की गई एवं सायल के उक्त खेत खसरा न0 526 रकबा 1.09 ऐयर की विधिवत सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी की गुहार की गई परन्तु प्रशासन द्वारा उक्त संबंध में कोई विधिवत कार्यवाही पूर्ण ईमानदारी से मौके पर आज तक नहीं की गई, जिससे गैरसायलान नम्बर 1 लगायत 8 के हौसले और भी बुलन्द है और सायल का खेत डर के कारण मौके पर बिना काश्त के पडा हुआ है।

दिनांक 01.0[illegible] को सुबह लगभग 8 बजे सायल अपने उक्त आराजी खसरा न0 526 रकबा 1.09 ऐ[illegible] होकर देखभाल कर रहा था, अपनी डोल–मेढ को सही [illegible] नम्बर 1 लगायत 8 सायल के खेत में घुस[illegible] के पूर्व की ओर सायल के खेत की आराजी में जबरन लठ्ठ के बल पर प[illegible] की टंकी रखकर, झांखड, लकडी, घुडा इत्यादि रखने लगे एवं सायल की आराजी के उत्तर की ओर सायल की डोल–मेढ को काटने लगे तो सायल ने उनसे हाथ जोडकर ऐसा अन्याय नहीं करने बाबत निवेदन किया परन्तु गैरसायलान नहीं माने और स्पष्ट ऐलानियां कहने लगे कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:16:30 IST
Reason: SelfAttested

तुम्हारे खेत का कोई सही प्रकार से सीमाज्ञान नहीं हो रहा है, ना ही कोई सही प्रकार से पत्थरगढी हो रही है हम तुम्हारे खेत में पूर्व व उत्तर की ओर तुम्हारी आराजी पर नाजायज कब्जा करेंगे। और बोले की तुझे तेरे खेत को काश्त नहीं करने देंगे इस पर सायल ने गैरसायलान से हाथ जोडकर ऐसा अन्याय नहीं करने बाबत निवेदन किया और दावे ने प्रतिवादी न0 9 के कार्यालय तहसील में चलकर सायल की भूमि आराजी खसरा न0 526 रकबा 1.09 ऐयर का विधिवत सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराने में सहयोग करने को कहा तो गैरसायलान उसके लिये कतई तैयार नहीं हुये, और स्पष्ट मना कर दिया, और सायल की खातेदारी की उक्त दोनों दिशाओं की भूमि पर जबरन कब्जा करने की स्पष्ट ऐलानिया धमकी दी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

गैरसायलान अपनी उक्त बेजा हरकतों से तक तक वाज नहीं आवेगा जब तक कि उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं फरमाया जावेगा। पाबंन न करने की सुरत में सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार रूप से संभव नहीं हो सकेगी। जबकि गेरसायलान को पाबंद किये जाने से उसे कोई क्षति नहीं है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायल स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद इस अम्र से पाबंद फरमया जावे कि सायल के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी आराजी खसरा न0 526 रकबा 1.09 ऐयर वाके ग्राम अटकोली सूरोठ वर्णित मद न0 02 प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार की बेजा, मजाहमत, मदाखलत ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावाये, आराजी के किसी भी भाग पर नाजायज अतिक्रमण नहीं करे किसी भी हिस्से से सायल को बेदखल नहीं करे सायल को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे सायल के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 ता 08 की ओर से श्री मोहन अवस्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 19.10.2023 को वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 23.05.2024 द्वारा गैरसायलान 1 ता 8 के द्वारा जबाब पेश किया गया जो निम्नानुसार है:–

1. प्रार्थना पत्र के मद न0 1 में सायल द्वारा गैरसायल के विरूद्ध कतई गलत एवं झुठा दावा पेश करना स्वीकार है। जिसमें सायल को सफलता का कोई भी चांस नहीं है।
2. प्रार्थना पत्र के मद न0 2 आराजी ... होना स्वीकार है।
3. प्रार्थना पत्र के मद न0 3 में गैरसायलान 1 ता 4 की आराजीयात खसरा न0 529 रकबा ... स्वीकार है।
4. प्रार्थना पत्र का मद न0 4 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत एवं झुठा होने के कारण अस्वीकार है। गैरसायलान द्वारा भूमि खसरा न0 675 में कोई गैरकानूनी रूप से अतिक्रमण नहीं कर रखा है, नाहि किसी मकान का निर्माण ही किया जा रहा है, गेरसायल जब अतिक्रमण ही नहीं कर रखा है तो गेत के रूप में उपयोग करने का प्रश्न ही पैंदा नहीं होता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:16:30 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायलान ने अतिक्रमण का ना तो प्रयास किया है नाही टंकी, खण्डे, पत्थर, झाड, झंखड लकडी, घूडा आदि पटकने का प्रयास ही किया है, इस मद में दर्ज तमाम बातें गलत है, गैरसायलान सायल की किसी भूमि की डौल को नहीं तौड रहे है, गैरसायलान ने आज दिन सायल की कभी कोई मारपीट नहीं की है। सायल को गैरसायलान भगाना नहीं चाहते है। इस मद में दर्ज तमाम बातें कतई गलत एवं झूठी होने के कारण अस्वीकार है।

5. प्रार्थना पत्र का मद न0 5 जिस प्रकार तहरीर किया गया है कतई गलत एवं झूठी होने के कारण अस्वीकार है। गैरसायलान का कोई अनुचित कत्य नही है। गैरसायालन ने सायल की पुत्रवधु के साथ कभी कोई मारपीत नहीं की। वास्तविकता में सायल व उसके परिवार जन ने गैरसायलान के साथ वारदात की जिसकी एफआईआर संख्या 484/2023 थाना नई मण्डी हिण्डौन पर दर्ज कराया जो कि न्यायालय में चार्ज शीट पेश होकर मुकदमा विचाराधीन है। जो कि सरकार बनाम हनीफ के नाम स`चल रहा है।

6. प्रार्थना पत्र का मद न0 6 जिस प्रकार तहरीर किया गया है कतई गलत एवं झूठी होने के कारण अस्वीकार है। इस मद में दर्ज तमाम बाते गलत है, अस्वीकार है। सायल ने शुरू से ही सीमा ज्ञान व पत्थरगढी का विरोध किया है। सन 2023 में तहसीलदार सूरौठ सीमाज्ञान करवाने मौके पर गये तो उनके साथ मारपीट व गाडी के शीशे आदि फोड दिये। सीमाज्ञान व पत्थर गढी के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है सायल ने दावा पेश किया है जो कि कानून चलने योग्य नहीं है।

7. प्रार्थना पत्र का मद न0 7 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है गलत एवं झूठा होने के कारण अस्वीकार है। इस मद में दर्ज तमाम बाते कतई गलत एवम कपोल कल्पित दर्ज की गयी है। गैरसायलान सायल की जमीन खसरा न0 526 रकबा 1.09 है0 में नहीं गये और सायल की आराजी में जबरन पानी की टंकी, झांखड, लकडी, घूडा आदि नहीं रखी है। इस मद में वर्णित कोई बात गैरसायलान की सायल से नहीं हुयी है। सायल ने अपना दावा व प्रार्थना पत्र हाजा गलत पेश कर दिया है, जबकि सीमाज्ञान व पत्थरगढी के लिये केवल प्रार्थना पत्र पेश करना होता है, दावा व प्रार्थना पत्र टी आई हाजा गलत पेश कर दिये है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

8. प्रार्थना पत्र का मद न0 8 गलत है अस्वीकार है। गैरसायलान को कानूनन को कानूनन अस्थायी निषेधाज्ञा से [illegible] नहीं किया जा सकता। यदि पाबंद कर दिया तो [illegible] जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं हो सक[illegible] प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:16:30 IST
Reason: SelfAttested

9. प्रार्थना पत्र का मद न0 9 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत एवं झुठा अंकित होने के कारण अस्वीकार है। सायल के पक्ष में कोई प्राईमाफेसी केस साबित नहीं है और अपूर्तनीय क्षति भी सायल के पक्ष में

नहीं है, तथा सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में ना होकर गैरसायलान के पक्ष में है।

10. प्रार्थना पत्र में चाही गयी रिलीफ से इंकारी है। सायल विरूद्ध गैरसायलान कोई रिलीफ प्राप्त करने के हकदार नहीं है।

जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 ता 03 की ओर से श्री शाहिद अली अधिवक्ता द्वारा दिनांक 14.01.2021 को वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 23.05.2024 द्वारा गैरसायलान 1 ता 3 के द्वारा जबाब पेश किया गया जो निम्नानुसार है:–

1. प्रार्थना पत्र के मद न0 1 में दावा पेश करना तो स्वीकार है, परन्तु सायला ने दावा कतई गलत व झूंठे आधारों पर पेश किया है, जिसमें सायला को सफलता मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।
2. प्रार्थना पत्र के मद न0 02 में आराजीयात के खसरा न0 और रकबा मुताबिक रिकॉर्ड दर्ज होने से स्वीकार है।
3. प्रार्थना पत्र के मद न0 3 में आराजीयात के खसरा न0 और रकबा मुताबिक रिकॉर्ड दर्ज होने से स्वीकार है।
4. प्रार्थना पत्र के मद न0 04 में आराजीयात के खसरा न0 और रकबा मुताबिक रिकॉर्ड दर्ज होने से स्वीकार है।
5. प्रार्थना पत्र मद न0 05 गलत होने से अस्वीकार है। क्योंकि खसरा न0 730 संयुक्त परिवार की संयुक्त खातेदारी में कभी नहीं रहा है। गैरसायल न0 1 की स्वअर्जित भूमि है, जिस पर गैरसायलान नम्बर 01 ता 07 का कब्जाकाश्त है, सायला का कोई कब्जा नहीं है।
6. प्रार्थना पत्र का मद न0 06 में दर्ज सायला और गेरसायालान न0 02 ता 07 सगे भाई–बहिन होना स्वीकार है, शेष तथ्य अस्वीकार है, क्योंकि उक्त आराजीयात गैरसायल न0 01 के हिस्से की भूमि है, जिस पर गैरसायल न0 01 का ही कब्जा है। सायला का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है, सायला की गेरसायल न0 01 द्वारा शादी कर दी गई और अपनी ससुराल पथैना तहसील भुसावर में अपने पति घर सुखदपूर्वक निवास कर रही है। हर तीज त्योहार पर मानते चीनते है, भात जामने सभी समय पर दिये है।
7. प्रार्थना पत्र का मद न0 07 स्वीकार नहीं है, क्योंकि गैरसायल न0 01 ने अपने हिस्से की उपरोक्त आराजीयात को गैरसायल न0 02 ता 07 को मोके पर वहामी बटवारो के तौर पर काश्त हेतु दे रखा है। सायला का उपरोक्त आराजीयात पर कोई कब्जा नहीं है, सम्पूर्ण भूमि मुताबिक हिस्सा के अनुसार गैरसायल न0 01 ता 07 का ही कब्जाकाश्त है। सायला का कोई कब्जा नहीं है और ना ही कभी भी उक्त पर कब्जा सायला का रहा है।
8. प्रार्थना पत्र का मद न0 08 स्वीकार नहीं है। उपरोक्त आराजीयात पर सायला ने कभी भी काबिज व दखील होकर फसल काश्त नहीं की और ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:16:30 IST
Reason: SelfAttested

ही वर्तमान में सायला का कब्जाकाश्त है। सम्पूर्ण भूमि पर गैरसायल न0 01 ता 07 का ही कब्जा है।

9. प्रार्थना पत्र का मद न0 09 गलत होने से स्वीकार नहीं है, क्योंकि गैरसायल न0 01 ने गैरसायल न0 02 ता 07 से कभी भी साज कर उपरोक्त आराजीयात को बेचान करने की मंशा नहीं रखी और ना ही भविष्य में उक्त भूमि को बेचान करने की मंशा है। उक्त मद में दर्ज तथ्य आधारहीन व असत्य होने के कारण स्वीकार नहीं है।

10. प्रार्थना पत्र का मद न0 10 असत्य व आधारहीन होने के कारण स्वीकार नहीं है, क्योंकि तथाकथित दिनांक व समय को सायला कभी भी उपरोक्त आराजीयात में बोई हुई फसल को देखने नहीं आई तथा उक्त जमीन को लेकर सायला व गैरसायलान में कभी भी कहासूनी नहीं हुई । उक्त मद में दर्ज सभी तथि गलत व आधारहीन तथा मनगढन्त है, जो स्वीकार नहीं है।

11. प्रार्थना पत्र का मद न0 11 असत्य व आधारहीन होने के कारण स्वीकार नहीं है, क्योंकि उपरोक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 02 ता 5 प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा पर सायला का कोई कब्जाकश्त नहीं है, इसलिये कब्जे के अभाव में प्राइमफेसी केस सायला के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होकर गैरसायल नम्बर 01 ता 07 के पक्ष में साबित है। इसलिये गैरसायलान को पाबन्द करने से उन्हें काफी अपूर्तनीय क्षति होगी, सुविधा का संतुलन भी गैरसायलान नम्बर 1 ता 7 के पक्ष में बखूबी साबित है।

जबाब शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल न0 4 ता 10 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आदेशिका दिनांक 08.07.2024 से गैरसायल न0 4 ता 10 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2072—75, खाता संख्या 77, नकल नक्शा ट्रैस, नकल जमाबन्दी 2072—75, खाता संख्या 1, वाके ग्राम अटकोली तहसील सूरौठ पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। वकील गैरसायलान द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2072—75, खाता संख्या 77, नकल नक्शा ट्रैस, नकल जमाबन्दी 2072—75, खाता [illegible] 1, वाके ग्राम अटकोली तहसील सूरौठ पेश किये है। जिसमें [illegible] वाके ग्राम अटकोली तहसील सूरौठ में खातेदार [illegible] के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gujar
Date: 2025.06.25 16:16:30 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार [illegible] यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी ख0 न0 526 रकबा 1.09 है0 वाके ग्राम अटकोली तहसील सूरौठ में दर्ज खातेदार सायल जो दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन करने पर इस नतीजे पर पहुचे कि

जमाबंदी संवत 2072–75 खाता संख्या 77 में आराजी ख0 न0 526 रकबा 1.09 है0 स्थित ग्राम अटकोली तहसील सूरौठ अंकित है एवं सायल द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर गैरसायलानो के कब्जे के होने बावत तथ्यो के संबध में वाद में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक बहस में साबित करने में असफल रहा है एवं सायल द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित तथ्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत नहीं आता है। जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी ख0 न0 526 रकबा 1.09 है0 स्थित ग्राम अटकोली तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 30/8/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:16:30 IST
Reason: SelfAttested